22/12/20 वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित हुआ। आदेश हेतु दिनांक 28/12/20 को पेश हो।

28/12/20 वकील वादी/प्रार्थी। प्रार्थिनी शीला देवी पत्नि कमल प्रसाद जाति ओड़ राजपूत निवासी वर्तमान पश्चिम विहार दिल्ली पश्चिम द्वारा पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार डिक्री की जावे और प्रार्थिनी को नगद 15EEA के रु० 75 के बिल का पूरा की कुल राशि 2 लाख रुपये डिक्री की जाने का आदेश दिया जावे। प्रार्थिनी को सुना गया।

अतः पक्षों का पक्ष एवं राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री बिल्ड से लिखा जाकर फाईल निस्तारित किया जाता। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2022.12.12 13:27:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner